

दगशाई छावनी परिषद प्रारूप ठोस कचरा प्रबंधन उप-नियम विधि 2022

अध्याय - 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) इन उप-नियमों का संक्षिप्त नाम दगशाई छावनी परिषद ठोस कचरा प्रबंधन उप-नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये उप-नियम दगशाई छावनी की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं:

- (1) इन उप-नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - (क) बोर्ड से दगशाई छावनी परिषद अभिप्रेत हैं।
 - (ख) "प्रपुंज उद्यान और बागवानी कचरा" से उपवन और उद्यानों से उत्सर्जित प्रपुंज कचरा अभिप्रेत है, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ 'ब्राउन' सामग्री जैसे पेड़ों की छंटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ों की कटिंग, टहनियां, लकड़ी की कतरन, भूस्सा, सूखी पत्तियां, पेड़ों की छंटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटित कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता;
 - (ग) "प्रपुंज कचरा उत्सर्जक" से ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसडब्ल्यूएम नियम कहा गया है) के नियम के 3 के उपनियम (1) के खंड (8) में यथा परिभाषित प्रपुंज कचरा उत्सर्जक और मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई भी अन्य कचरा उत्सर्जक अभिप्रेत है;
 - (घ) "संग्रहण" से अभिप्रेत है कचरा उत्सर्जक स्रोत संग्रहण बिंदु या अन्य किसी स्थान से ठोस कचरे को उठाना और हटाना;
 - (ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (च) "निर्माण और विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 के नियम (3) के उप-नियम (1) के खंड ग के अधीन है।
 - (छ) "स्वच्छ क्षेत्र" से किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे सम्मिलित है जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अंतर्गत किया जाता है, अभिप्रेत है;
 - (ज) "सामुदायिक कूड़ा घर" से बोर्ड द्वारा स्थापित और संचालित कूड़ा घर या यथा स्थिति, एक या अधिक परिसरों के स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा सामूहिक रूप से सड़क किनारे या ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण हेतु स्थापित और संचालित कचरा संग्रह केन्द्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् ढलाव कहा गया है); अभिप्रेत है;

- (झ) “कंटेनर युक्त ठेला” से ठोस कचरे का निर्धारित बिन्दुओं से कचरा संग्रहण हेतु बोर्ड या अभिकरण या उसके द्वारा नियुक्त अभिकर्ता द्वारा प्रदत्त ठेला अभिप्रेत है;
- (ञ) “परिदान” से किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को बोर्ड के कर्मचारी या ऐसे कचरे के परिदान हेतु बोर्ड द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या अनुज्ञप किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना या ऐसा करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अभिकरण या अनुज्ञप द्वारा प्रदान किए गए किसी वाहन में कचरा डालना अभिप्रेत है;
- (ट) “ई-कचरा” का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3 उप-नियम (1), खंड (द) में अभिप्रेत है;
- (ठ) “फिक्सड कम्पैटर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)” से एक ऊर्जा चालित मशीन अभिप्रेत है; जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैक्ट करने के लिए किया गया है और जो प्रचालन के समय स्थिर रहती है तथा प्रचालन के समय कम्पैक्टर गतिशील भी हो सकता है, इसे मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन कहा जा सकता है (इसके पश्चात् इसे एम टी एस कहा जाएगा)
- (ड) “कूड़ा-करकट” से सभी प्रकार का कूड़ा अभिप्रेत है और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ सम्मिलित है जिसे फेंकना या संग्रह करना इन उप-नियमों के अधीन प्रतिबद्ध है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति को न्यूसेंसया जीव जंतु, पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को खतरा पहुँचने की आशंका हो।
- (ढ) “गंदगी फैलाने”, से किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना या तत्संबंधी अनुमति देना अभिप्रेत है; जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर या किसी अन्य तरीके से पहुँचती हो या गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।
- (ण) “स्वामी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भवन, या भूमि या उसके किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का प्रयोग करता है।
- (त) “अधिभोगी या दखलकार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी या कब्जेदार हो इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिये किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का प्रयोग कर रहा हो।
- (थ) “पैलेटाइनजेशन” से एक प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें पैलेट तैयार की जाती है, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब या बेलनाकार टुकड़े होते हैं, और उनमें ईंधन पैलेट्स भी सम्मिलित होते हैं, जिन्हें रिफ्यूज डेराइज्ड ईंधन कहा जाता है;
- (द) “विहित” से एसडब्ल्यूएम नियमों या इन उप-नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ध) “सार्वजनिक स्थल” से कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो आम लोगों के प्रयोग और उपभोग के लिए सहज सुलभ है, चाहे वास्तव में लोगों द्वारा प्रयोग या उपभोग किया जाता है या नहीं;
- (न) “संग्रहण” से ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस रीति से संग्रह करना अभिप्रेत है जिससे गंदगी या रोगवाहकों का आकर्षण या आवारा पशुओं और अत्यधिक दुर्गंध को रोका जा सके।
- (प) “सफाई कामगार” से दगशाई छावनी क्षेत्र में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने या नालियों को साफ करने के लिए बोर्ड या इसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
- (फ) “अनुसूची” से इन उप-नियमों से सम्बद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।
- (ब) “उपभोक्ता फीस या प्रभार” से बोर्ड द्वारा, समय-समय पर सक्षम अधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया फीस या प्रभार अभिप्रेत है; जिससे ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई प्रसंस्करण और निपटान सेवाओं की आंशिक या पूर्ण लागत का समावेश हो सके।

(भ) "खाली प्लॉट" से किसी व्यक्ति या प्राइवेट अभिकरण या सरकारी अभिकरण या सरकारी विभाग, लोक उपक्रम की या उसके प्रबंधाधीन कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान, जिस पर किसी का कब्जा न हो, अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों, के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 तथा निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 में है।

अध्याय-2

ठोस कचरे का पृथक्करण और प्राथमिक संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण:

(1) सभी कचरा उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रूप से पृथक् करें और उसे संग्रहित करें। यह तीन वर्गों में किया जाएगा अर्थात्:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा;

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा;

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार उक्त पृथक्कृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपा जाएगा।

(2) प्रत्येक थोक कचरा उत्सर्जक स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कचरे को पृथक् करें और उसे निम्नांकित तीन वर्गों में संग्रहित करें:-

(क) गैर-अपघटीय या खुश्क कचरा;

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा;

(ग) उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिम पूर्ण कचरा इकट्ठा किया जाएगा और पृथक्कृत कचरा प्राधिकृत कचरा संग्रहण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कचरा प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं या संग्रहण केन्द्रों को सौंपा जाएगा और यह कार्य बोर्ड के समय-समय पर निर्धारित दुलाई शुल्कों के भुगतान आधार पर किया जाएगा।

(3) पृथक् किए गए कचरे के संग्रहण उद्देश्य से जैव अपघटीय कचरे के लिए हरे रंग का कूड़ेदान, गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए नीले रंग का कूड़ेदान तथा घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए काले रंग का कूड़ेदान होगा।

(4) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, बोर्ड की भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक् किये गए ठोस कचरे को अलग-अलग डिब्बों में संग्रहित किया जाए, फिर से प्रयोग की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः प्रयोग करने वालों को सौंपी जाए। जैव अपघटीय कचरे का प्रसंस्करण, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथा संभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा और इससे बचे हुए कचरे को बोर्ड द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जायेगा।

(5) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर कब्जा रखने वाले सभी द्वार बंद समुदाय और संस्थान बोर्ड की भागीदारी के साथ सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक् किए गए कचरे को अलग-अलग डिब्बों में रखा जाए और पुनः प्रयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा

संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः प्रयोग करने वालों को सौंपा जाए। जैव अपघटीय कचरे का प्रसंस्करण, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जायेगा और इससे बचे हुए कचरे को बोर्ड द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जायेगा।

(6) सभी होटल और रेस्त्रां, बोर्ड के भागीदारी से कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग-अलग डिब्बों में संग्रहित करेंगे और फिर से प्रयोग की जाने वाली सामग्री प्राधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं या प्राधिकृत पुनः प्रयोग करने वालों को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे कि प्रोसेसिंग उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन तकनीक के द्वारा यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जायेगा और इससे बचे हुए कचरे को बोर्ड, द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जायेगा।

(7) कोई व्यक्ति गैर-अनुज्ञप्ति स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह आवश्यक होगा कि अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट उपभोक्ता फीस का भुगतान करते हुए बोर्ड को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम ऑनलाइन लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग-अलग किया जाए जिससे बोर्ड द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या अभिकरण को सौंपा जा सकें।

(8) सफाई उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबंधी विनिर्माताओं या ब्रैंड मालिकों द्वारा प्रदान किये गये पाउचों या अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुशक कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए।

(9) प्रत्येक गली विक्रेता अपने कार्य के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बें, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग-अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहित करेगा और उसे बोर्ड द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौंपेगा।

(10) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग एकत्र करेंगे और समय-समय पर बोर्ड, के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(11) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा संग्रहण किया जाएगा जो उसे बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण या हिमाचल प्रदेश सरकार या दशशाई हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.पी.एस.पी.सी.बी.) द्वारा आवधिक रूप से उपलब्ध कराए गए वाहन या ऐसे कचरे के संग्रहण हेतु निर्धारित केन्द्रों में, उस रीति अनुसार जो, हिमाचल प्रदेश सरकार या एच.पी.एस.पी.सी.बी. द्वारा निर्देशित की गई हो, निपटान हेतु पहुंचाया जाएगा।

(12) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन अलग से एकत्र और निपटान किया जाएगा।

(13) बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक औद्योगिक कचरा, उपचारित किए बगैर ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(14) नाम निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों को छोड़ कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे स्वामी या कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशु संबंधी कचरा उत्सर्जित करते हो उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और

प्रतिदिन के आधार पर विनिर्दिष्ट समय पर बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन तक पहुंचाना होगा।

परन्तु सामुदायिक कूड़ा घरों में ऐसे कचरे को नहीं डाला जाएगा और ऐसे डालना निषिद्ध होगा।

(15) पृथक्कृत जैव अपघटीय ठोस कचरा यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलीवरी बोर्ड के कर्मचारी या वाहन या कचरा एकत्रकर्ता या कचरा संग्रहकर्ता को यह सुपुर्दगी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवधिक समयों पर की जाएँ। प्रपुंज जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों हेतु प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहनों को की जाए।

अध्याय -3 ठोस कचरा संग्रह

5. "ठोस कचरा संग्रह":

(1) ठोस कचरा संग्रह बोर्ड के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक् किए गए ठोस कचरे को घर-घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्ल्यूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को बोर्ड संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(2) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे संबंधित क्षेत्र में खास-खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और बोर्ड वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने का सामान्य समय प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का सामान्य समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। गृहस्थ, संस्थान और वाणिज्यिक ईकाईयां कचरे को कूड़ा संग्रहकर्ता को देंगे।

(3) कचरे को स्व-स्थाने प्रसंस्करण करने वाले समूह कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने के प्रबंध किये जायेंगे।

(4) सब्जी, फल, फूल, मांस, कुक्कुट और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को दिन-प्रतिदिन के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(5) वागबानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र और उसका निपटान किया जाएगा और इसके लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(6) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, समूह वागबानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अधिकतम प्रयोग करने और उसका संग्रहण एवं ढुलाई कि लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रसंस्करण या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।

(7) कैंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषिद्ध है। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना अनिवार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों कि उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के अधीन किया जाएगा।

- (8) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को बोर्ड द्वारा या अधिसूचित प्राधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात ऑटो-टिप्पर या रिक्शा आदि में डालने के उत्तरदायी होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटों, आवास परिसरों से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।
- (9) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिक में नई खोजों को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे जो ऊपर से हाइड्रोलिक तरीके से संचालित हुपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे और इनमें जैव अपघटीय और गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग-अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे, ऐसे वाहनों में हूटर भी लगा होगा।
- (10) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिंग उपकरण, घंटी या शोर या अनुज्ञेय ध्वनि स्तर से अनधिक आवाज की अन्य डिवाइस भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जायेगा।
- (11) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण और दुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं और बोर्ड द्वारा या अधिसूचित प्राधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिका बद्ध और जीआईएस मानचित्र के रूप में होगी, जो बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभ करने का समय, प्रतिक्षा स्थलों, मार्ग पर रुकने का समय, अन्तिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अन्तिम समय का उल्लेख होगा। बोर्ड या अधिसूचित प्राधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और दुलाई वाहनों कि समय सारणी प्रदर्शित की जायेगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें ऐसी जानकारी बोर्ड कि वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।
- (12) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन कि सेवाएं संभव न हो, वहां एक तिपहिया या छोटा मोटरयुक्त वाहन काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाइड्रोलिक तरीके से संचालित हुपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सुखे कचरे के लिए अलग-अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे और ऐसे वाहनों में हूटर लगा होगा और वह मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।
- (13) अत्यंत भीड़-भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां तिपहिया या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा या अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किये जायेंगे।
- (14) ऐसी छोटी, तंग और भीड़-भाड़ वाली गलियों या लेनों में जहां तिपहिया या रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो ऐसे स्थानों पर बस्ती या गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सकें और वाहन का हेल्पर या ड्राइवर के पास एक सीटी होगी, और वे सीटी बजाते हुए गली में चलकर ठोस कचरा संग्रह के लिए वाहन के आगमन कि घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। प्रत्येक परिवार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि अभिहित स्थान पर संग्रह कर्ता को पृथक किए कचरे को दे दिया है।
- (15) ऑटो टिप्पर, तिपहिया, रिक्शा और इस सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।
- (16) बोर्ड या उसके अधिसूचित प्राधिकृत कचरा संग्रहकर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों या लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ठोस कचरे का संग्रहण

- (1) घरों से एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूड़ा घरों या अचल या चल अन्तरण स्थलों या बोर्ड द्वारा कचरा द्वितीयक संग्रहण के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जायेगा।
- (2) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ढक्कन सहित विनिर्दिष्ट रंग वाले कंटेनर होंगे, जिनमें निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होंगे-
 - (क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा;
 - (ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा;
 - (ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।
- (3) पृथक्कृत कचरे के संग्रहण हेतु क्षेत्र में बोर्ड द्वारा चिन्हित भिन्न रंगीन कंटेनरों का प्रयोग निम्नांकित रीति से किया जाएगा-
 - (क) हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए;
 - (ख) नीला: गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए;
 - (ग) काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए।
- (4) कचरे का मिलावट या रिसाव रहित सुरक्षित और सरल तरीके से संग्रहण हेतु बोर्ड द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के स्टोरेज और डिलीवरी निमित्त निर्धारित आधानों की अनिवार्य कलर कोडिंग और अन्य विनिर्दिष्ट अधिसूचित किए जाएंगे। जिनका अनुपालन विभिन्न कचरा उत्सर्जकों द्वारा किया जाएगा।
- (5) बोर्ड स्वयं या बाहरी अभिकरणों के माध्यम से ठोस कचरा संग्रहण केन्द्रों का संचालन इस ढंग से करेगा कि उनके आसपास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।
- (6) द्वितीयक संग्रहण डिपो में विभिन्न आकार के कंटेनर बोर्ड या किन्हीं अन्य निर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा प्रदान किये जायेंगे, जो इन उप-नियमों में यथा विनिर्दिष्ट अलग रंगों के होंगे।
- (7) संग्रहण केन्द्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है तथा संग्रहण केन्द्र उपभोक्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जायेगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रह किये गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।
- (8) सभी सरकारी आवास समितियों, संगठनों, कॉलोनियों, आवासीय और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रंगीन कूड़ेदान रखे और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में उन कंटेनर को रखा जाए ताकि वहाँ प्रतिदिन उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संग्रहीत किया जा सके।
- (9) बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण का यह दायित्व होगा कि वे नियमित आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और उन्हें संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

7. सूखे कचरे (गैर-जैव अपघटीय कचरा) के लिए रिसाइक्लिंग सेंटर:-

- (1) बोर्ड अपने वर्तमान ढलावों या पहचान किये गये खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रिसाइक्लिंग केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका प्रयोग गली या घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के माध्यम से एकत्रित सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जायेगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रिसाइक्लिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जा सकती है।

(2) गली या घर-घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय कचरा) ऐसे नाम निर्दिष्ट रिसाइक्लिंग केन्द्रों को स्थानांतरित किया जायेगा और ऐसे नाम निर्दिष्ट केन्द्र सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(3) परिवारों के लिए यह प्रावधान भी होगा कि वह अपना रिसाइक्लिंग योग्य सूखा कचरा इन रिसाइक्लिंग केन्द्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं या प्राधिकृत एजेंटों या बोर्ड के प्राधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों पर बेच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाइक्लिंग यूनिट पर एक धर्म कांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। प्राधिकृत अभिकर्ता या प्राधिकृत कचरा व्यापारी यथास्थिति, को इस बात की अनुमति होगी कि वे रिसाइक्लिंग योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के उपबंधों के अनुसार ही द्वितीयक बाजार या रिसाइक्लिंग यूनिटों को बेच सकते हैं। प्राधिकृत एजेंट या प्राधिकृत कचरा व्यापारी बिक्री से प्राप्त राशि रखने के हकदार होंगे।

8. विनिर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केन्द्र:-

(1) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रहण के लिए एक संग्रहण केन्द्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जायेगा जहां विनिर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जायेगा, ऐसा सरकार द्वारा विहित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जायेगा और इसमें कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित होगा।

(2) बोर्ड प्राधिकृत अभिकर्ता या झूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है, कि वे सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथक्कृत तरीके से एकत्र करें। इस तरह एकत्र किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केन्द्र पर अलग से लाया जायेगा।

अध्याय-5

ठोस कचरे की दुलाई

9. ठोस कचरे की दुलाई-ठोस कचरे की दुलाई निम्नांकित रीति से की जायेगी अर्थात्:-

(i) कचरे की दुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भली-भांति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनों में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन भी सम्मिलित हो सकते हैं यह बोर्ड द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेगा।

(ii) बोर्ड द्वारा स्थापित संग्रहण केन्द्र कचरे का निपटान प्रतिदिन आधार पर करेंगे और कूड़ेदानों या कंटेनरों के आसपास के क्षेत्र को साफ रखेंगे।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अपघटीय कचरा प्रसंस्करण प्लांटों जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथेनेशन प्लांट या किसी अन्य केन्द्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जायेगा।

(iv) जहां कहीं प्रयोज्य हो जैव अपघटीय कचरे के लिए ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रसंस्करण को वरीयता दी जायगी।

(v) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा संबद्ध प्रसंस्करण केन्द्रों या द्वितीयक संग्रहण केन्द्रों में पहुंचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की दुलाई, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

- (vii) बोर्ड कचरे की समुचित ढुलाई का प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद, काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटायी जायगी।
- (viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जायेगा कि अन्तिम निपटारे से पहले कचरे के बार-बार परिचालन से बचा जा सके।
- (ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाये वाहन कचरे को केवल एमटीएस या एफसीटीएस जहां कहीं भी उन्हें रखा गया हो, में जमा या स्थानांतरित करेंगे।
- (x) यदि किसी कारणवश एमटीएस या एफ सी टी एस नाम विनिर्दिष्ट स्थल पर किसी कारणवश उस समय पर खड़े नहीं पाये जाए तो 'लदा वाहन' अगले एमटीएस या एफसीटीएस या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर कचरा गिराने के लिए ले जाया जाएगा।
- (xi) एफसीटीएस को हुक लोडर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।
- (xii) एमटीएस या एफ सी टी एस विनिर्दिष्ट कचरे को कम्पोस्ट, प्लांट कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट या बोर्ड द्वारा नाम विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थल या प्लांट तक सीधे ले जाएंगे।
- (xiii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होगा।
- (xiv) गली स्तर पर कचरा संग्रहण और ढुलाई सेवायें प्रत्येक दिन उपलब्ध करायी जाएगी।
- (xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तर पर कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य यानों या कूड़ादानों से कचरा प्राप्त करेंगे।
- (xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो टिप्परों, तिपहिया वाहनों, रिक्शो आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार विनिर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किये जाएंगे।
- (xvii) एमटीएस और एफ सी टी एस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय ले और कूड़ा करकट इधर उधर न फैलने दे।
- (xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के नजदीक रिसे हुए कचरे को साफ किया जाए, जिससे कोई रिसाव ना बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् संक्रमण विरोधी पदार्थ का प्रयोग किया जायेगा।
- (xix) बोर्ड या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता या अभिकरण सभी द्वितीयक संग्रहण केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे।

अध्याय-6

ठोस कचरे का प्रसंस्करण

10. ठोस कचरे की प्रसंस्करण:

(1) बोर्ड ठोस कचरा प्रसंस्करण केन्द्रों और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं या किसी अभिकरण के माध्यम से व्यवस्था करेगा, जिससे ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जायगी और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगा अर्थात्:-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को न्यूनतम रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को वरीयता दी जायगी जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन या जैव अवघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

- (ख) केंद्रीयकृत स्थलों पर स्थित मध्यम या बड़े कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन प्लांटों के माध्यम;
- (ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के माध्यम से, ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रों को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूलके रूप में या फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्रदान करते हुए;
- (घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के माध्यम से; और
- (ङ) रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल की खपत के लिए यथा संभव बाजार सृजित करने के यथा संभव सारे प्रयास करेगा।
- (2) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सुसंगत अनुबंधों की कार्यशर्तों का भाग होगा।
- (3) बोर्ड सुनिश्चित करेगा की कागज,प्लास्टिक,धातु,कांच या टेक्सटाइल सामग्री आदि रिसाइकिल योग्य पदार्थ प्राधिकृत रिसाइकिल कर्ता अभिकरणों को भेजे जाएं।

11. ठोस कचरे की प्रसंस्करण के लिए अन्य दिशा-निर्देश:-

- (1) बोर्ड सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, सशस्त्र सेना समूह और अन्य अभिकरणों, द्वार बंद समुदायों और 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों,सभी होटलों और रेस्त्राओं, बेंक्रेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन के माध्यम से जैव अवघटीय कचरे का उसके उत्सर्जन स्थान पर ही प्रसंस्करण करने की व्यवस्था करेगा। कचरा उत्सर्जन करने वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अवघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रसंस्करण को भी वरीयता दी जायगी।
- (2) बोर्ड यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, फूल, मांस, कुक्कुट और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे का प्रसंस्करण करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।
- (3) बोर्ड यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी,उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में किया जाये।
- (4) बोर्ड कचरा प्रबंधन में समुदायों को सम्मिलित करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग बायो गैस उत्सर्जन सामुदायिक स्तर पर कचरे का विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाएगा बशर्ते ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आस-पास स्वच्छ स्थिति बनाये रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

12. ठोस कचरे का निपटान:-

- (1) बोर्ड आवासीय कचरे के निपटान हेतु अवशिष्ट कचरे और गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद के निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों में विहित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा लागू किये गये किसी अन्य मामले दायित्व के अनुरूप करेगा तथा स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।
- (2) उप पैरा-(1) में निहित किसी बात के होते हुए भी बोर्ड अपने क्षेत्राधीन तथा किसी भी नगर निकाय या नगर निकाय समूह के साथ अपशिष्ट कचरा,गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे,नालियों से निकलने वाली गाद तथा अन्य स्रोतों से उत्सर्जित कचरे को लैंडफिल में निपटान के लिए करार कर सकता है

और ऐसे नगर निकाय तथा नगर निकाय समूह के साथ करार कर सकता है, जिन्होंने सम्बद्ध अवसंरचना ढांचा का निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण किया हो।

अध्याय-8

उपभोक्ता फीस और स्थल पर ही शास्ति

13. ठोस कचरे की संग्रहण, ढुलाई और निपटान के लिए उपभोक्ता फीस:

- (1) बोर्ड द्वारा कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवायें प्रदान करने के लिए उपभोक्ता फीस निर्धारित की जाएगी। उपभोक्ता फीस की दर अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट की गई है।
- (2) बोर्ड या इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अभिकरण या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कचरा उत्सर्जकों से यथा नियत उपभोक्ता शुल्क का संग्रह किया जाएगा।
- (3) बोर्ड इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 6 माह के भीतर, उपभोक्ता फीस लगाने के प्रयोजन से कचरा उत्सर्जकों का डाटा बेस तैयार करेगा और उपभोक्ता फीस की बिलिंग या संग्रह या वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।
- (4) बोर्ड ऑनलाइन भुगतान सहित उपभोक्ता फीस की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपना सकता है। महीने में विशेष दिन जिनमें, वरीयतः प्रत्येक महीने का पहला सप्ताह इस प्रकार के उपभोक्ता शुल्क के संग्रहण हेतु निर्धारित होगा।
- (5) वार्षिक और छमाही भुगतान की भी प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि उपभोक्ता फीस सम्पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम अदा की जाती है, तो 12 महीने की बजाए 10 महीने की राशि ली जाएगी। इसी प्रकार उपभोक्ता फीस 6 महीने का अग्रिम संदाय पर शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढ़े पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।
- (6) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट उपभोक्ता फीस प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
- (7) उपभोक्ता फीस के संदाय में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी चूककर्ता से उसकी वसूली छावनी अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन कर की बकाया राशि के रूप में कर सकेगा।

14. नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति:-

- (1) एसडब्ल्यूएम नियमों या इन उप-नियमों के किसी भी उपबंधों के उल्लंघन या अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों से संलग्न अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति लगाई जाएगी।
- (2) उपरोक्त खंड (क) में यथा उल्लेखित उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार-बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या मास, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।
- (3) मुख्य अधिशासी अधिकारी एक सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा शास्ति लगाने हेतु अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा। शास्ति मौके पर लगाई और वसूली जाएगी और जुर्माना के भुगतान न करने के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन अभियोजन की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।
- (4) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शास्ति प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से प्रवृत्त प्रत्येक वर्ष स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जायगी।

अध्याय - 9
हितधारियों के दायित्व

15. कचरा उत्सर्जकों के दायित्व:-

(I) कूड़ा फैलाने का प्रतिषेध

(क) **किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलाना:** प्राधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति इन विशेष प्रयोजनों के लिए उपबंध की गई ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं के सिवाय किसी सार्वजनिक स्थल खुले या खाली स्थान पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने या साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

(ख) **किसी सम्पत्ति पर कूड़ा फैलाना:** प्राधिकृत निजी या सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी खुले या खाली सम्पत्ति पर कूड़ा करकट नहीं डालेगा।

(ग) **वाहनोंसे कूड़ा फेंकना:** वाहनों के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फेंकेगा या जमा करेगा।

(घ) **मालवाहक वाहन से गंदगी डालना:** कोई व्यक्ति तबतक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक की ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत ना किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोडपदार्थ या गंदगी डालने से रोका जा सके।

(ङ) **स्वयं या पालतू पशुओं से गंदगी:** कुत्ता, बिल्ली आदि सहित पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली या किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवर द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा या साफ करेगा और इस तरह उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए उचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) **नालियों आदि में कचरे का निपटान:** कोई व्यक्ति किसी नाली, नदी, खुले तालाब या जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।

(II) **कचरे को जलाना:** सार्वजनिक स्थानों पर या किसी निजी स्थान पर या सार्वजनिक सम्पत्ति पर ठोस कचरे को जलाकर उसका निपटान करना सख्त निषिद्ध है।

(III) स्वच्छ क्षेत्र:

(क) प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने या समीप कोई भी सार्वजनिक स्थान या आस-पास का क्षेत्र स्वच्छ रहे। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां या गटरसड़क किनारा शामिल हैं जो किसी भी तरह के ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(ख) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शन, सर्कस, मेले, राजनीतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और या बोर्ड से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

(ग) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से बोर्ड द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उनके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी, लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक

स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई है और कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उत्सर्जित कचरा एकत्र करके निर्दिष्ट स्थलों तक पहुंचा दिया गया है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें सम्पत्ति को पहुंचाई गई किसी प्रकार की क्षति का हर्जाना सम्मिलित नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में बोर्ड की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हों, तो उन्हें बोर्ड के संबंधित विभाग या अनुभाग को आवेदन करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा कराना होगा।

(घ) खाली प्लाट पर ठोस कचरा पाटना और गैर-नाम निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थिति मामलों पर बोर्ड द्वारा निम्नांकित ढंग से कार्रवाई की जाएगी:-

(i) बोर्ड किसी परिसर के मालिक या अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है जिससे ऐसे मालिक या अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को हटाने के लिए नोटिस में वर्णित तरीके तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर ही निपटा जाएगा।

(ii) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के आदेश तथा उपरोक्त प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा नामित कर्मचारी के आदेश से ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक ऐसी चूक पर समय-समय पर निर्धारित शास्ति देय होगी।

(iii) उपर्युक्त नोटिस पाने वाला व्यक्ति शास्ति भुगतान के अतिरिक्त यदि नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ कर सकता है तथा इस प्रयोजन में अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

16. प्रयोज्य उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या ब्रांड स्वामियों का कर्तव्य:

(1) प्रयोज्य उत्पादों जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं या बोर्ड की अधिकारिता में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रांड स्वामियों को कचरा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए बोर्ड को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। बोर्ड इस उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकता है।

(2) ऐसे सभी ब्रांड स्वामियों को जो गैर-जैव अपघटनीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(3) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रांड स्वामी या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादों में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का प्रयोग किस हद तक किया जा सकता है या वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनमें ऐसे नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(4) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रांड स्वामी या विपणन कंपनियां आवश्यक रूप से अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेंगी।

(5) ईंधन प्रयोग करने वाली और ठोस कचरा आधारित प्लांट के एक सौ किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयां अपनी ईंधन की जरूरत का कम से कम 5 प्रतिशत भाग इस तरह उत्पादित रिफ्यूज्ड डेराइड ईंधन से पूरा करेंगी।

17. बोर्ड के दायित्व:-

- (1) बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू-भाग में सभी समान क्षेत्रों, यथा गलियों, मार्गों सार्वजनिक स्थलों, अस्थायी बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनरों से कचरा एकत्र करने और उसे प्रतिदिन बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए बोर्ड अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पक्षकारों या अभिकरणों को काम पर लगा सकता है, या सरकारी-निजी भागीदारी व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो।
- (2) बोर्ड या उसके द्वारा संलग्न प्राधिकृत अभिकरण, यदि आवश्यकता महसूस हुई, सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आस-पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त आकार के कूड़ेदान रखेगा।
- (3) सक्षम प्राधिकारी विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी या कर्मचारी का नाम निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों या सार्वजनिक स्थानों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए गए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल प्रसंस्करण यूनिटों आदि स्थलों की निगरानी रख सके।
- (4) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के पृथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो सफाई निरीक्षक के रैंक या समकक्ष से नीचे का अधिकारी नहीं होगा।
- (5) प्रत्येक वार्ड को निर्धारित मानदंड के आधार पर सफाई क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनु रूप स्वयं के कार्मिक या आउटसोर्स तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती को युक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। यदि बोर्ड को उपयुक्त लगे तो वह अपने क्षेत्राधीन सीमा के किसी भाग में उपरोक्त प्रयोजन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए करार कर सकता है। प्रत्येक हलके का निरीक्षण समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- (6) बोर्ड सड़क या गली साफ करने वाली आधुनिक मशीन, यांत्रिक झाड़ू या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिससे झाड़ू-बुहारी और नालियों की सफाई प्रभावी ढंग से हो सके।
- (7) बोर्ड सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न उपबंधों के बारे में शिक्षित करेगा, जिसमें उपभोक्ता फीस और शास्ति संबंधी उपबंधों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।
- (8) बोर्ड कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर उपचार करें। बोर्ड विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, आवास कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को प्रमाण पत्र और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना या सम्पत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना सम्मिलित हो सकते हैं।
- (9) बोर्ड स्वयं द्वारा अनुरक्षित सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कहीं संभव हो, अपने अधिकारिता वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का

उपयोग करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइक्लिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रिसाइक्लिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

(10) बोर्ड ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारू और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को बरीयता दी जाए, ताकि उनकी कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।

(11) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने सभी ठोस कचरा परिचालन करने वाले श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवियर और मास्क उपलब्ध कराएं, साथ ही इन श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का प्रयोग भी किया जाए।

(12) बोर्ड कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में सम्मिलित स्वयं के और बाहरी अभिकरण के स्टाफ की व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(13) किसी ठोस कचरा प्रसंस्करण या उपचार या निपटान केंद्र या लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(14) मुख्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न उपबंधों का पालन हो रहा है।

(15) बोर्ड अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना द्वारा सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल उपयोजन या वैंब आधारित सेवाएं सम्मिलित हो सकती हैं।

(16) बोर्ड एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के कार्यान्वयन से सबद्ध कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने और उस पर निगरानी रखने के लिए अपने मुख्यालय, सभी अंचलों, वार्ड कार्यालयों आदि में बायो-मीट्रिक या स्मार्ट कार्ड प्रोद्योगिकी या आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को यथास्थिति मजदूरी या पारिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(17) अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड अपनी वेबसाइट के माध्यम से सभी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा।

(18) बोर्ड एसडब्ल्यूएम नियमों के अधीन उपबंधित सभी अन्य कर्तव्य पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किए गए हैं।

अध्याय - 10

विविध

18. विविध उपबंध-

(1) इन उपनियमों का निर्वचन या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे मुख्य अधिशासी अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

- (2) बॉर्ड अन्‍य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों की अधिकारिता क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों के अधीन सुनिश्चित किया जा सके।
- (3) सक्षम प्राधिकारी एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उपनियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उपभोक्ता फीस

1	2	3
क्र सं.	श्रेणी	प्रत्येक परिसर/आवास/रिहायशी इकाई/फ्लैट से प्रति माह उपभोक्ता फीस(रुपये में)
1.	आवासीय यूनिट	
	(i) 50 वर्ग मीटर तक	25
	(ii) 50 वर्ग मीटर से अधिक 200 वर्ग मीटर तक	50
	(iii) 200 वर्ग मीटर से अधिक	100
2.	गली विक्रेता	50
3.	व्यापारिक स्थापन, दुकाने, खाने-पीनेके स्थान (ढाबा, हलवाई की दुकान/काँफ़ी हाउस आदि)	100
4.	गेस्ट हाउस/धर्मशाला	200
5.	होस्टल	200
6.	50 लोगों तक बैठने वाले रेस्त्रां	200
7.	50 से अधिक लोगों तक बैठने वाले रेस्त्रां	300
8.	होटल(अतारांकित)	1000
9.	होटल(3 स्टार तक)	1500
10.	होटल(3 स्टारसे अधिक)	2500
11.	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंगकक्षाएं, शैक्षिक संस्थान, आदि	200
12.	क्लिनिक, औषधालय, प्रयोगशालाएं, (50 बिस्तर तक)केवल गैर-बायोमैडीकल कचरे के लिए	200
13.	क्लिनिक, औषधालय, प्रयोगशालाएं, (50 से अधिक बिस्तरों वाले) केवल गैर-बायोमैडीकल कचरे के लिए	500
14.	लघु और कुटीर उद्योग, कार्यशाला(केवल गैर जोखिमपूर्ण कचरा)	1500
15.	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर जोखिमपूर्ण कचरा)	2000
16.	विवाह, पार्टी हॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी और मेले	2000
17.	क्लब, सिनेमा हॉल, पब्स, मल्टीप्लेक्सेज़ और अन्य ऐसे स्थल	1500
18.	किसी अन्य श्रेणी में कवर न किये गए गैर-वाणिज्यिक धार्मिक या धर्मार्थ संस्थान	1000
19.	उपरोक्त संस्थानों में शामिल न किये गए अन्य स्थल/गतिविधि	बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किये गए निर्णय के अनुसार

टिप्पणी: उपभोक्ता फीस या प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर किये जाने की स्थिति में उपभोक्ता फीस या प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब अधिशुल्क (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2
शास्तियों

क्रम सं	नियम/ उप नियम संख्या	विफलता/उल्लंघन	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए शास्ति (रूपए में)
1.	एसडब्ल्यूएम नियमोंके नियम 4 (1)(क) के साथ पठित उप- विधि4 (1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों और उप- नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय	200
			विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान	5,000
			5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले प्रदर्शनी तथा मेले स्थल	5,000
			5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हाल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थल	5,000
			5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले गैर-आवासीय इकाईयां	500
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों के नियम 4 (1)(ख) और (घ) के साथ पठित उप-विधि4 (8) और 4(10)	(i) नियमों और उप- विधियों के अनुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना (ii)नियमों और उप- विधियों के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना	आवासीय	200
			गैर- आवासीय	500
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों के नियम 4 (1)(ग) के साथ पठित उप-विधि 4(12)	नियमों और उप- विधियों के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना	आवासीय	200
			गैर- आवासीय	500
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों के नियम 4 (2)के साथ पठित उप-विधि 15 (II)	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5,000

5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (4)के साथ पठित उप-विधि 4(7)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा आयोजित करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसकी और से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और कार्यक्रम मैनेजर या मैनेजरों, यदि कोई हो जिसने ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (5)के साथ पठित उप-विधि4(9)	नियमों और उपविधियों के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाला गली विक्रेता	उल्लंघनकर्ता	200
7.	उप विधि 15 (1)के साथ पठित एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15 (छ)	गंदगी फैलाना	चूककर्ता	500
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार शास्ति लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)के साथ पठित उप-विधि 4(4)	नियमों और उप नियमों के अनुसार कचरे के निपटान में विफलता	निवासी कल्याण संगठन	10,000
			बजार संगठन	20,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों के नियम 4(7)के साथ पठित उप-विधि 4(5)	नियमों और उप विधियों के अनुसार कचरे के निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000
			संस्थान	20,000
10.	एसडब्ल्यूएम नियम के नियम 4(8)के साथ पठित उप-विधि 4(6)	नियमों और उप विधियों के अनुसार कचरे के निपटान में विफलता	होटल	50,000
			रेस्त्राँ	20,000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों के नियम 17(2)के साथ पठित उप-विधि 16(2)	उनके उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किए बिना डिस्पोजेबल उत्पादों की बिक्री या विपणन	विनिर्माता और/ या ब्रैंड स्वामी	1,00,000

12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)के साथ पठित उप-विधि 16(3)	नियमों तथा उप विधियों के अनुसार कचरे के निपटान में विफलता	विनिर्माता और/या ब्रैंड स्वामी और/या विपणन कंपनिया	50,000
13.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 18 के साथ पठित उप-विधि 16(5)	रिफ्यूज्ड ड्राइव्ड ईंधन द्वारा ईंधन की आवश्यकता को स्थानापन्न करने में विफलता	औद्योगिक यूनिट	1,00,000

File No. CBD/8/10/SWM